संख्या–३९३९४८/IV(2)-शo वि0–07(सा0)24 / 2026 (69871)

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून
27/5/26

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 26 मई, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर निगम, पिथौरागढ़ के क्षेत्रान्तर्गत 'वार्ड नेडा बस्ते में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण' हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1036 / श0वि0नि0–2459(पार्क) / 25, दिनांक 09.07.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, पिथौरागढ़ के क्षेत्रान्तर्गत **'वार्ड नेडा बस्ते में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण'** हेतु कुल रू0 981.37 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में **कुल रू0 196.98 लाख (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु निम्नवत् आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

आज प्राप्त 02/06/2026

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	नगर निकाय / कार्य का नाम	योजना लागत	निकाय अंश (50%)	स्वीकृत धनराशि
1.	नगर निगम, पिथौरागढ़ के क्षेत्रान्तर्गत **'वार्ड नेडा बस्ते में देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण'।**	981.37	490.69	196.98

2– उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) उक्त धनराशि में **कुल रू0 196.98 लाख (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख अठ्ठानवे हजार मात्र)** को नगर निगम, पिथौरागढ़ को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम / यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।

SFD BR 27/5/26

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्य में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद / योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम, पिथौरागढ के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(3) नगर निगम, पिथौरागढ़ से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी अनिवार्य रूप प्राप्त किया जाए कि सम्बन्धित कार्य किसी अन्य योजना / विभाग / मद से पूर्व में स्वीकृत / प्रस्तावित नहीं है।

(4) **'मुख्यमंत्री शहरी अवस्थापना विकास योजना दिशा–निर्देश' के अनुसार नगर निगम, पिथौरागढ़ द्वारा निकाय अंश का वहन स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा।**

AAO Rama 29/5/26

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत पार्क निर्माण कार्यों को तत्परता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी / अभियंता का होगा। इस हेतु नगर निगम द्वारा प्रश्नगत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में समय सारिणी / कार्ययोजना तैयार कर ली जाय।

तत्काल ई0 नियमानुसार कार्यवाही हेतु। 29/05/26 AAO

(7) नगर निकायों द्वारा निर्मित हो रहे देवभूमि रजत जयंती पार्कों हेतु 05 वर्ष का ओ0एण्डएम0 रखा जायेगा, जिस हेतु होने वाला व्यय नगर निगम, पिथौरागढ़ द्वारा वहन किया जायेगा और रख–रखाव हेतु पार्क से आय सृजन हेतु विशेष प्रयास भी सुनिश्चित किये जायेंगे।

(8) उक्त निर्मित होने वाले **'देवभूमि रजत जयंती पार्क'** को निर्माण उपरान्त यथावत बनाये रखे जाने/दीर्घकालीन रख–रखाव व सुरक्षा का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निगम का होगा।

(9) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(10) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking oF Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(11) कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। साथ ही बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(छः)(2)(जिसमें आवंटित बजट का 80 प्रतिशत चालू योजनाओं/कार्यों हेतु तथा 20 प्रतिशत नयी योजनाओं/कार्यों हेतु) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजना हेतु प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता होने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निगम/शहरी विकास निदेशालय का होगा।

(12) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(13) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी तथा अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(14) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(15) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(16) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(17) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचिलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(18) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(19) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी/अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(20) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(21) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(22) नगर निकाय द्वारा उक्त निर्मित होने वाले पार्कों के बाहर ए0टी0एम0 स्थापना, अन्दर टी–कॉफी क्योस्क आदि आय सृजन सम्बन्धी सुझावों को अमल में लाया जाय।

(23) 'देवभूमि रजत जयंती पार्क' के सम्बन्ध में शहरी विकास विभाग के आदेश संख्याः 288158, दिनांक 07.04.2025 में उल्लिखित प्राविधानों का पूणतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) प्रस्तुत प्रस्तावों के सम्बन्ध में यदि निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी का कोई Observation है अथवा जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा कोई Observation उल्लेखित किया गया है, तो कार्य प्रारम्भ से पूर्व उक्त के निराकरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निगम का होगा।

(25) नॉन शैड्यूल मदों की दरों/स्वीकृति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निगम का होगा।

(26) धनराशि का अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2027 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, निकाय अंश व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और तद्नुसार अवशेष धनराशि की मांग की जायेगी। तत्सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तरदायित्व नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी का होगा और तदोपरान्त शहरी विकास निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(27) आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित दरों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार/नवीन जी0एस0टी0 प्राविधानों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

(28) वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 01.04.2026 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(29) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2027 तक कर लिया जायेगा।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के **अनुदान सं. –13** के लेखाशीर्षक–"4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–01–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अन्तर्गत मानक मद 53–वृहद निर्माण" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 393846, दिनांक 07.05.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से संलग्न एलॉटमेंट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–एलॉटमेंट आई0डी0 सं05260501300481

Digitally signed by Santosh Badoni
Date: 25-05-2026 16:48:59

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

5. नगर आयुक्त, नगर निगम, पिथौरागढ।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 26-05-2026
11:44:32

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Print Date:-26/May/2026 01:07 PM

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Manoj Chandra Misra
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 26-05-2026 13:07:51

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26050130048

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 26-MAY-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	1559300	19698000	0	21257300
	योग	1559300	19698000	0	21257300

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 1,96,98,000 (Rupees One Crore Ninety Six Lacs Ninety Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2605:0017

Approval Status : e-Sign letter